23.1.2018

121/2012 रीविजन - सुल्तान

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि योग्य अदालत मातहत में रेस्पोडेन्ट संख्या= 2 से 3 के पति/पिता भागीरथ ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर आराजी ख0नं0 712, 713, 717, 718, 722 से 727, 773 से 776 व 778 कुल किता15 कुल रकबा 13.44 हैक्टर वाके ग्राम खाटूश्यामजी का अपीलान्ट एवं संख्या-3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का पेश किया ।जिसमें निवेदन किया कि विवादित आराजी आवेदकगण एवं अनावेदक संख्या-1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है जो पैत्रिक भूमियां है। जिसमें अनावेदक संख्या-2 की अत्यधिक वृद्धावस्था का फायदा उठाकर 1/4 हिस्से की रिलीज डीड हक त्याग पत्र दिनांक 3-8-2006 को अपने नाम से करवा लिया । जिसको विक्रय करने पर आमादा है । अतः अनावेदक संख्या-1 व 2 को पाबन्द किया जावे कि वह दौराने वाद उक्त आराजी में अपने हिस्से का बैचान नही करें रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अदालत मातहत ने आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील पेश कर निवेदन किया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी का खाता कब्जा पक्षकारान के पूर्वज अमराराम का चला आ रहा है अमराराम की चारो पुत्रियों ने अपना हिस्सा अपने तीनों भाईयों के नाम व अपनी माता के नाम से हक त्याग कर दिया । रेस्पोडेन्ट संख्या- 2 व 3 का पूर्वज भागीरथ, रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व रेस्पो0सं0-5 आराजी के 1/4, 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार हो गये ।अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट सख्या-4 से उसके

दिनांक	आज्ञा पत्र	

विवादित आराजी का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार होते हुये अदालत मातहत ने कानून के विपरित जाकर अपीलान्ट को पाबन्द करने में कानूनी भूल की है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत के निर्णय का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0 2051 में आराजी ख0नं0 712, 713, 717, 718, 722 से 727, 773 से 776 व 778 कुल किता-15 रकबा 13.44 हैक्टर वाके ग्राम खाटूश्यामजी की खातेदारी अमरा पुत्र कुशाला के नाम दर्ज रही है। अमरा की मृत्यु के बाद विरासतन नामा0सं0-176 से भागीरथ, सुलतान बीरबल पिता अमराराम, रूकमा बेवा अमराराम के नाम स्वीकृत है । राजस्व रेकार्ड के अनुसार विवादित आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की संयुक्त कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमियां है । वाद का निर्णय साक्ष्य सबूत लिये जाने के बाद किया जाना है।पक्षकारों के मध्य दौराने वाद किसी प्रकार के विवाद ना बढे इस कारण अदालत मातहत ने राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति एव विवादित आराजी को बैचान नही करने का आदेश दिया है जिसमें हम किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं पाते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ का निर्णय दिनांक 3-4-2012 यथावत रखा जाता है।

निर्णय सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर